आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

....

विविध वाद संख्या-395/1993

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

राज्य सरकार---------------------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

बृज बिहारी सिंह एवं अन्य-------------------- द्वितीय पक्ष

31.8.2017

P.N. 69 10.10.17

P.No-88 20.1.17

P.N. 15 09.10.18

यह वाद दं0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत ग्राम-नामुदाग, थाना-छत्तरपुर, वर्त्तमान-नौडीहा बाजार, जिला-पलामू के खाता संख्या-77, प्लॉट सं0-271,272,273 281,282,283,284,285,291,316,318,376, एवं 951 के लिए पुलिस प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गयी। चूंकि पुलिस प्रतिवेदन थाना प्रभारी द्वारा इस आशय का समर्पित किया गया कि उन्हे ज्ञात हुआ कि द्वितीय पक्ष के सदस्य 1. बृज बिहारी सिंह, केश्वर कहार एवं नन्दू कहार के बीच उपरोक्त जमीन के जोत-कोड़ को लेकर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसमें शांति व्यवस्था का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तदनुसार पुलिस प्रतिवेदन इस न्यायालय को समर्पित की गयी जिसमें बिहार सरकार प्रथम पक्ष तथा विपक्षियों में बृज बिहारी सिंह का दावा एक ओर तथा केश्वर कहार एवं नन्दु कहार का प्रतिदावा दूसरी तरफ से होने की बात कही गयी। तदनुसार पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर सर्वप्रथम धारा 144दं0प्र0सं0 की कार्रवाई राज्य बनाम उपरोक्त तीनों विपक्षियों के विरूद्ध उपरोक्त भूमि के लिए प्रारम्भ की गयी।

आदेश ... गई ... बारे ... तारीख

द्वितीय पक्ष से सभी तीनों सदस्यों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी और तत्पश्चात् दोनों पक्षों को सुनकर उक्त प्रक्रिया को दं0प्र0सं0 की धारा-145 के अन्तर्गत परिवर्तित करते हुए उपरोक्त विवादी जमीन की पूर्ण विवरण के साथ धारा-145 दं0प्र0सं0 का नोटिस निर्गत की गयी। धारा 145 दं0प्र0सं0 की नोटिस प्राप्ति के बाद द्वितीय पक्ष के प्रथम सेट बृजबिहारी सिंह द्वारा एक आवेदन दिनांक 26.08.1994 को दाखिल कर प्रार्थना की गयी कि उनके द्वारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल कारण पृच्छा को ही धारा 145 दं0प्र0सं0 का लिखित कथन मानते हुए प्रक्रिया की अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0-02 एवं 03 केश्वर कहार एवं नन्दु कहार की ओर से लिखित कथन दिनांक 13.12.1994 को अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है।

इस बीच विपक्षी संख्या-01 की ओर से दिनांक 05.11.1993 को एक आवेदन देकर इस न्यायालय को बताया गया कि विपक्षी संख्या-02 एवं 03 से प्रक्रिया अन्तर्गत जमीन पर संकटकालिन स्थिति उत्पन्न हो गयी है और विवादी जमीन को धारा-146(1) दं0प्र.सं. के अन्तर्गत प्रक्रिया की अग्रेत्तर कार्रवाई के दौरान जप्त किया जाय। द्वितीय पक्ष संख्या-01 बृज बिहारी सिंह के आवेदन संतुष्ट होकर इस न्यायालय के तत्कालिन पीठाधिकारी अपने आदेश दिनांक 05.11.1993 द्वारा प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि को धारा 146(1) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रक्रिया के निपटारा तक के लिए जप्त किया गया है।

द्वितीय पक्ष संख्या-01 के कारण पृच्छा जिसे लिखित कथन के रूप में पढ़ा जाना है के अवलोकन से उनके दावे का सार यह है कि विवादी जमीनगत सर्वे मे विशु कहार पिता भिखारी एवं नथुनी कहार पिता गुरूचरण कहार के नाम से रैयती दर्ज हुआ था। सर्वे नथुनी कहार आने आधे हिस्से की भूमि पर अपने जीवन काल तक दखलकार रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनका एक मात्र पुत्र शिव कहार उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होकर काबिज दाखिल हुआ।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2
शिव कहार अपनी आवश्यक आवश्यकता के लिए अपने हिस्से की $6.39\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन निबंधित विक्रय पत्र संख्या-3815, दिनांक 18.12.1947ई0 द्वारा द्वितीय पक्ष संख्या-01 बृज बिहारी सिंह एवं उनके तीन अन्य भाईयों श्री कृष्ण मुरारी सिंह , श्री बलदेव नारायण सिंह एवं रामा बल्लभ प्रसाद सिंह के पक्ष में बिक्री कर उन्हे दखल कब्जा दे दिया और इस प्रकार द्वितीय पक्ष संख्या-01 एवं उनके भाई उपरोक्त जमीन के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में आये। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 एवं उनके उपरोक्त भाईयों के बीच सम्पूर्ण बकास्त जमीन जो वे लोग अपने पिता से उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किये थे, के लिए एक बंटवारा वाद संख्या-10/1952 व्यवहार न्यायालय, पलामू में दाखिल किया जिसमें उपरोक्त क्रय की गयी $6.39\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन भी बंटवारा में सम्मिलित था। इस प्रकार अन्तर्गत विवादी जमीन द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 के हिस्से में अन्य जमीन के साथ अवंटित हुई। तद्नुसार उक्त जमीन के लिए द्वितीय पक्ष संख्या- 01 का तख्ता बना एवं उसे न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम की धारा-03(बी0) के अन्तर्गत रिर्टन दाखिल किया गया जिसपर लगान निर्धारण वाद संख्या-57/1963-64 कायम की गयी। द्वितीय पक्ष संख्या-01 का आगे कथन है कि भू-हदबंदी अधिनियम लागू होने के बाद भू-हदबंदी वाद सं0-50/61/1973-74 कायम की गयी जिसमें राजस्व पदाधिकारियों द्वारा विवादी भूमि को भी हदबंदी वाद में शामिल की गयी और तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष संख्या-01 को भू-धारी मानते हुए उनकी जमीन की तालिका (बी) की अधिसूचना सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ तथा किसी ने भी आवंटित भूमि जिसमें विवादी भूमि भी सम्मिलित है, के लिए द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया और इस

प्रकार विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष सं0-01 ने अपना स्वामित्व, स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा का दावा प्रस्तुत किया है और प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि पर वास्तविक दखल कब्जा का दावा प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि हाल सर्वे में भी विवादी जमीन उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में पाया गया है, जिसके हाल सर्वे के पदाधिकारियों ने इनके पक्ष में प्रारंभिक पर्चा तैयार किया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि पर अपना वास्तविक दखल कब्जा का दावा प्रस्तुत किया है।

द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-02 एवं 03 की ओर से दाखिल लिखित कथन का सार यह है कि द्वितीय पक्ष सं0-02, केश्वर कहार के पिता का नाम विशु कहार की जगह में प्रक्रिया अन्तर्गत नोटिश में बिगु कहार दर्ज हो गया है। इसलिए उनका दावा है कि विशु कहार एवं नथुनी कहार दोनों चचेरा भाई थे और नथुनी कहार नावल्द मर गये इसलिए इस खाता नं0-77 की सम्पूर्ण जमीन विशु कहार को प्राप्त हुई और विशु कहार पूरा खाता नं0-77 की जमीन जोत-कोइ करते रहें। विशु कहार की मृत्यू के बाद इनके दो पुत्र हुसैनी कहार एवं केश्वर कहार अपने पिता की जमीन का जोत-कोइ करने लगे। इस प्रकार उपरोक्त विपक्षी संख्या-02 एवं 03 की ओर से विवादी जमीन पर स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस विपक्षियों का आगे कथन यह भी है कि शिव कहार का पिता नथुनी कहार न होकर विदूर राम था, जो ग्राम रबदा का रहने वाला था और ग्राम-रबदा में शिव कहार का खाता नं0-66 एवं 67 की 1.41 एकड़ जमीन थी जिस पर शिव राम जोत-कोइ करता था। इस विपक्षियों का यह भी दावा है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0-01 बृज बिहारी सिंह एवं अन्य के नाम से निबंधित केवाला जाली है और यह केवाला कभी प्रभावी नहीं हुआ। वोटर लिस्ट में शिव कहार के पिता नथुनी कहार का नाम दर्ज होने के संबंध में इन विपक्षियों का कथन है कि ऐसा जानबुझकर वोटर लिस्ट बनवाया गया है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

दोनों पक्षों की ओर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। द्वितीय पक्ष सदस्य संख्या-01 की ओर से कुल 6(छः) साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनका नाम इस प्रकार हैः-

साक्षी संख्या-01----रामचन्द्र राम

साक्षी संख्या-02----चन्द्रदेव राम

साक्षी संख्या-03----सुदेश्वर राम

साक्षी संख्या-04----बृज बिहारी सिंह

(द्वितीय पक्ष) सदस्य सं0-01

साक्षी संख्या-05----अयोध्या कुमार मेहता

साक्षी संख्या-06----विक्रमादित्य सिंह

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष सं0-01 की ओर से निम्नांकित दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पठन के लिए प्रदर्श अंकित कराया गया है।

प्रदर्श-A-क्षतिपूर्ति वाद संख्या-02/1963-64 की सच्ची प्रतिलिपि।

प्रदर्श-B-लगान निर्धारण वाद सं0-57/1963-64 की सच्ची प्रतिलिपि।

प्रदर्श-C-विविध वाद सं0-301/2000 अन्तर्गत धारा-144 दं0प्र0सं0 के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि।

प्रदर्श-D-विक्रय पत्र संख्या-3815 दिनांक 19.12.1947

प्रदर्श-E-विक्रय पत्र संख्या-2574, दिनांक 19.10.1986

प्रदर्श-G-विविध वाद संख्या-301/2000 में दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत दाखिल कारणपृच्छा।

प्रदर्श-H-सरकारी मालगुजारी रसीद।

प्रदर्श-I -विविध वाद संख्या-384/92 धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि।

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 की ओर से निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैः-

साक्षी संख्या-01----सुन्दर राम

साक्षी संख्या-02----विशुनदेव सिंह

साक्षी संख्या-03----नन्दू राम

द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 की ओर से कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सके।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इस न्यायालय को इस प्रक्रिया के अन्तर्गत इस निष्कर्ष पर पहुचना है कि प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि पर प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा उसके 02 माह पूर्व तक किस पक्षकार का वास्तविक दखल-कब्जा विद्यमान था।

इस संबंध में द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-बृज बिहारी सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-D-विक्रय पत्र संख्या-3815 दिनांक 18.12.1947 के स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र द्वारा विवादी जमीन द्वितीय पक्ष संख्या-01 एवं इनके भाईयों के नाम से खरीदगी जमीन है जिसे आज तक इस निबंधित विक्रय पत्र को द्वितीय पक्ष के दुसरे सेट यानि द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 केश्वर राम एवं नन्दू राम या इनके पूर्वज या उत्तराधिकारी द्वारा किसी समक्ष न्यायालय में चुनौती दिये जाने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रदर्श A एवं B क्रमशः क्षतिपूर्ति वाद संख्या-02/1963-64 के सच्ची प्रतिलिपि है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीनदारी उन्मूलन के वाद संख्या बिहार भूमि सूधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय पक्ष के प्रथम सेट का विवादी जमीन सहित अन्य जमीन का लगान निर्धारण उक्त वाद संख्या-57/1963-64 द्वारा साक्ष्य पदाधिकारियों के द्वारा की गयी है जो एक न्यायिक आदेश है जिससे यदि कोई पक्ष क्षुब्द है तो उसे समय सीमा के अन्तर्गत अपील करने का अधिकार प्राप्त है और समय सीमा बीतने के बाद यह आदेश अंतिम फाईनल आदेश माना जाता है।

प्रदर्श-C- एवं G के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के प्रथम सेट के विक्रेता शिव कहार एवं नन्दू कहार के बीच पूर्व में धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया विविध वाद संख्या-301/2000, केश्वर राम एवं शिव राम वगैरह के बीच चला था। जिसमें द्वितीय पक्ष के प्रथम पक्ष बृज बिहारी सिंह पक्षकार नहीं थें।

प्रदर्श-F- के अवलोकन से स्पष्ट है कि नन्दू राम आपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण द्वारा 13 में स्पष्ट स्वीकार किया है कि नामूदाग मौजा के खाता संख्या-77 की जमीन शिव कहार के कृष्ण मुरारी सिंह इत्यादि को बिक्री किया था। पुनः

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पैरा 16 में यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई केवाला नहीं देखा जिसमें शिव राम के पिता का नाम विदूर राम है।

प्रदर्श-E- विक्रय पत्र संख्या-2574, दिनांक 19.10.1986 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिव राम अन्य जमीन को चपनी देवी को भी बिक्री किया है जिसमें उसके पिता का नाम नथुनी राम ही दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है- नथुनी राम का ही बेटा शिवराम है जिस द्वितीय पक्ष के सेट संख्या-02 में इस निबंधित केवाला को भी आज तक चुनौती दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है।

प्रदर्श-H- के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष संख्या-01 के द्वारा विवादी जमीन का लगान सरकार को भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार विविध वाद संख्या-394/92, में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि।

प्रदर्श-I- के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी खाता सं0- 77 की अन्य जमीन जो द्वितीय पक्ष सदस्य संख्या-01 के अन्य हिस्सेदारों को प्राप्त हुई थी, के लिए भी धारा-145 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम हुई थी, इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना के साथ द्वितीय पक्ष संख्या-01 के सह हिस्सेदारों के पक्ष में दखल कब्जा घोषित हुआ है तथा द्वितीय पक्ष संख्या- 02 एवं 03 को विवादी जमीन पर जाने से तक तक के लिए लगायी गयी है जब तक सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश प्राप्त नहीं हो।

इस प्रकार द्वितीय पक्ष सदस्य संख्या-01 के उपरोक्त मौखिक साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 के सभी मौखिक साक्षियों ने द्वितीय पक्ष संख्या-01 की जोत-कोड़ एवं दखल कब्जे का समर्थन किया है। इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य उनके प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में नहीं पाया गया जिससे उनके साक्ष्य पर किसी प्रकार को कोई संदेह किया जा सके। इस प्रकार द्वितीय पक्ष संख्या-01 के मौखिक साक्षियों ने भी इनके वास्तविक दखल कब्जे को सबूत किया है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 के प्रथम साक्षी सुन्दर राम है। इस साक्षी ने अपने परीक्षण के विवादी जमीन खाता संख्या-77 पर केशर राम एवं नन्दू राम का जोत-कोड़ का समर्थन किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी स्वीकार किया है कि नन्दू राम उसे गवाही देने के लिए गये है। वह इन्हीं के जाति का है। साथ ही इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने जमीन का खाता प्लॉट नहीं बता सकता है। स्पष्ट है कि इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हो सकता जो विवादी जमीन के प्लॉट का विवरण मात्र सिखाने अनुसार बताया हुआ प्रतीत होता है।

द्वितीय पक्ष सदस्य संख्या-02 एवं 03 के द्वितीय पक्ष साक्षी विशुनदेव सिंह है। इसी साक्षी ने अपने परीक्षण में ही जमीन को नन्दू राम खरीदगी भूमि बताया है और उस पर जोत-कोड़ लल्लू राम का बताया है। इस प्रकार इस साक्षी ने द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 के वास्तविक दखल कब्जे का समर्थन नहीं किया है।

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष संख्या- 02 एवं 03 के साक्षी-03 स्वयं नन्दू राम है। नन्दू राम ने विवादी जमीन खाता सं0-77 के 13 प्लॉटों में होने की बात कही है और उस पर अपना जोत-कोड़ होने की बात कही है। इस साक्षी का आंशिक प्रतिपरीक्षण दिनांक 16.08.2016 को किया गया तथा शेष प्रतिपरीक्षण के लिए उसे अगली तिथि दिनांक 30.08.2016 को न्यायालय में प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत होना था, परन्तु इस तिथि को साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ और इनके अधिवक्ता के अनुरोध पर इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण को पूर्ण माना गया है, जबकि यह साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुआ। स्पष्ट है कि इस साक्षी को न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण के उपरांत मुक्त नहीं किया गया है, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य अधूरा माना जाएगा और इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से द्वितीय पक्ष संख्या-02 एवं 03 के वास्तविक दखल कब्जे का दावा सबूत नहीं होता है।

की और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे गई बारे तारी
1	2	

यहाँ उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2004 से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के 3 सदस्यों को दो सेट में बांटा गया है जिसमें द्वितीय पक्ष के प्रथम सेट से बृज बिहारी सिंह तथा द्वितीय सेट में नन्दू राम एवं केश्वर राम को रखा गया है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 13.03.2010 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दूसरे सेट के सदस्य केश्वर राम की मृत्यू के बाद इनके दो लड़के बिनोद सिंह एवं अवध सिंह को इनके जगह पर प्रतिस्थापित किया गया है।

उपरोक्त साक्ष्य के अनुशीलन से स्पष्ट है कि विवादी जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 बृज बिहारी सिंह का वास्तविक दखल कब्जा प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि एवं उसके 02 माह पूर्व तक विद्यमान थी और इनका वास्तविक दखल कब्जा प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि पर पाई जाती है। इसलिए उपरोक्त बृज बिहारी सिंह का प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि पर वास्तविक दखल कब्जा घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के दूसरे सेट के सदस्यों को आदेश दिया जाता है कि विवादी जमीन पर बृज बिहारी सिंह के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे पर कोई विघ्न न डालें, जब तक की सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश पारित नहीं हो जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.1993 के द्वारा विवादी जमीन को धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रक्रिया के निर्णय तक के लिए जप्त की गयी है, को जप्ति से मुक्त की जाती है। इस आदेश का उद्धरण थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार को भेजें।

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.26 14:53:44 +05:30
Location: 192.168.1.2

हस्ताक्षरित एवं मोहरित।

31/8/17

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

31/8/17

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।